राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

वास्तुकला परिषद्
Council of Architecture

राष्ट्रीय आवास बैंक पुरस्कार

आवास में सर्वश्रेष्ठ डिजाइन के लिए

वास्तुकला सुझाव खुली प्रतियोगिता

1. प्रस्तावना
2. प्रतियोगिता दिशानिर्देश

प्रतियोगिता श्रेणी- छोटे भूखंड पर लाभार्थी आधारित निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ डिज़ाइन

वास्तुकला परिषद, नई दिल्ली के सहयोग से

आवास में सर्वश्रेष्ठ डिजाइन के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक पुरस्कार
छोटे भूखंड पर लाभार्थी आधारित निर्माण के लिए सर्वश्रेष्ठ डिज़ाइन

I. प्रस्तावना

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) की स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अंतर्गत की गई है, जिसका उद्देश्य स्थानीय और क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर आवास वित्त संस्थाओं का संवर्धन करना तथा ऐसी संस्थाओं को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करना है।

लक्ष्य और उद्देश्य:

राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की गई है:

- जनसंख्या के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सुदृढ़, स्वस्थ, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली का संवर्धन करना और आवास वित्त प्रणाली को समग्र वित्तीय प्रणाली के साथ एकीकृत करना।

- विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न आय समूहों को पर्याप्त रूप से सेवा प्रदान करने के लिए समर्पित आवास वित्त संस्थानों के नेटवर्क को बढ़ावा देना।

- क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना तथा उन्हें आवास हेतु उपयोग करना।

- आवास ऋण को और अधिक किफायती बनाना।

- अंतर्गत अधिनियम के तहत प्राप्त पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी करना।

II. डिज़ाइन संदर्भ

1.1 संगठित समाज में आवास मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। घर सिर्फ़ आश्रय पाने की जगह नहीं है, बल्कि यह परिवार के लिए वित्तीय स्थिरता का स्रोत भी है।

1.2 किफायती आवास लंबे समय से सतत शहरी विकास और सामाजिक स्थिरता का आधार रहा है। अतः, नीति निर्माताओं का प्रयास हमेशा न्यूनतम लागत पर पर्याप्त आवास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की दिशा में रहा है, जिससे घर के स्वामित्व को अधिकतम किया जा सके और समाज के सभी वर्गों को आवास गतिविधि का लाभ मिल सके।

1.3 देश के हर राज्य में घरों के लिए अपने पारंपरिक डिज़ाइन हैं जो भूगोल, मौसम, स्थानीय स्तर पर सामग्री की उपलब्धता और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में, आवास के डिज़ाइन पहलुओं का महत्व, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग में, तेजी से शहरीकरण और भूमि, सामग्री और श्रम की बढ़ती लागत के कारण कम हो गया है, और स्व-डिज़ाइन पर अधिक जोर दिया जा रहा है जिससे किसी पेशेवर को नियुक्त करने की लागत से बचा जा सके, जो कि परिणामस्वरूप उप-इष्टतम डिज़ाइन और निर्माण का कारण बनता है।

1.4 एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया और पेशेवर रूप से बनाया गया घर न केवल न्यूनतम लागत पर पूरा किया जा सकता है, बल्कि लागत बचत भी करता है जो स्वयं डिज़ाइन किए गए घरों में उपलब्ध नहीं हो सकता है। इसके अतिरिक्त, डिज़ाइन पेशेवर आधुनिक तकनीकों और तरीकों जैसे कि ऊर्जा-कुशल और हरित आवास का अधिकतम उपयोग कर सकते हैं जिससे कि दीर्घावधि में लागत को और कम किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुणवत्ता में कोई समझौता न हो।

1.5 एक तरीका जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि घर, विशेष रूप से निम्न आय वर्ग में स्वयं निर्मित घर, बिना किसी अतिरिक्त लागत के बेहतर और आधुनिक डिजाइनों से लाभान्वित हो सकें, वह यह है कि सरल टेम्पलेट उपलब्ध कराए जाएं जिन्हें आसानी से दोहराया जा सकता है। इसलिए, ऐसे टेम्पलेट्स को समझने में आसान, लागत प्रभावी, और उस वर्ग के लिए उपयुक्त नवीनतम निर्माण सामग्री तकनीकों को शामिल करने वाला होना चाहिए जिनके लिए ये बनाए जा रहे हैं।

1.6 राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अनुसार राष्ट्रीय आवास बैंक के निर्दिष्ट कार्यों के दायरे में शामिल गतिविधियों में से एक है, "आश्रय, आवास और मानव बस्ती से संबंधित या उससे जुड़े निर्माण तकनीकों और अन्य अध्ययनों पर अनुसंधान और सर्वेक्षण करना"।

1.7 सतत और समावेशी आवास विकास को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय आवास बैंक के मिशन के अनुरूप, बैंक ने आवास डिजाइन में नवाचार और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए "आवास में सर्वश्रेष्ठ डिजाइन" के लिए एक पुरस्कार का आरम्भ कर रहा है।

1.8 यह पुरस्कार ऐसे नवोन्मेषी, सतत और समावेशी आवास डिजाइनों को मान्यता देगा और प्रोत्साहित करेगा जो किफायतीपन, स्थिरता, स्थान की कमी, भारत के विविध जलवायु/स्थलाकृतिक क्षेत्रों के अनुकूलता की चुनौतियों का समाधान करते हुए गुणवत्तापूर्ण जीवन स्थितियां प्रदान करते हैं।

III. पुरस्कार के उद्देश्य:

इस पुरस्कार का उद्देश्य है:

- छोटे भूखंड पर लाभार्थी आधारित निर्माण डिजाइन में नवोन्मेषण को बढ़ावा देना।
- भारत के विविध जलवायु क्षेत्रों की विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करना।
- सतत और पर्यावरण अनुकूल निर्माण प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।
- लागत प्रभावी, सतत और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त आवास समाधान को बढ़ावा देना।
- निम्न आय वाले परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना।

- लाभार्थी आधारित निर्माण के ऐसे तरीकों को प्रोत्साहित करना जो छोटे भूखंडों के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा दें।
- वास्तुकारों को नवीन, किफायती और हरित भवन डिजाइन करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- गुणवत्ता या स्थिरता से समझौता किए बिना निम्न आय वाले वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले डिजाइनों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करना।

IV. पुरस्कार के लिए दिशानिर्देश:

A) फोकस क्षेत्र

i) रिहायशी आवास हेतु लाभार्थी आधारित निर्माण

ii) *बिंदु संख्या घ में उल्लिखित निश्चित छोटे भूखंड* हेतु उपयुक्त, कॉम्पैक्ट और व्यावहारिक डिज़ाइन।

iii) निर्माण में नवीन और स्थान का सर्वोत्तम उपयोग करने वाले समाधान दिखने चाहिए।

iv) ऐसे मॉड्यूलर और बढ़ाने योग्य डिज़ाइन, जिनसे लाभार्थी जरूरत के अनुसार भविष्य में अपने घर का विस्तार कर सकें।

v) स्थानीय रूप से प्रासंगिक, सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और लागत प्रभावी निर्माण तकनीकें।

B) **भागीदारी के लिए पात्रता**:

i) पंजीकृत वास्तुकार (अर्थात सीओए के साथ पंजीकृत वास्तुकार)

ii) संकाय सदस्यों के माध्यम से *सीओए द्वारा अनुमोदित संस्थानों में वास्तुकला पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले छात्र।*

iii) वास्तुकला संस्थान, संस्था प्रमुख के माध्यम से वास्तुकला परिषद द्वारा अनुमोदित।

C) **उपश्रेणियाँ**:

पुरस्कार को आगे निम्नलिखित तीन भौगोलिक श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा:

- मैदानी क्षेत्र
- तटीय क्षेत्र
- पहाड़ी क्षेत्र

D) **दिशा-निर्देश:**

	मैदानी क्षेत्र	तटीय क्षेत्र	पहाड़ी क्षेत्र
अधिकतम भूखंड क्षेत्र (वर्ग मीटर में) रिहायशी आवास	150		
आवश्यक विशेषताएं जिन्हें शामिल किया जा सकता है	लाभार्थी अधारित निर्माण के लिए स्थान का इष्टतम उपयोग हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील स्थानीय भवन निर्माण सामग्री भौगोलिक अनुकूलनशीलता जल संचयन i) स्थानीय भवन निर्माण उपनियमों (जैसे एफएआर और खुला क्षेत्र, भवन निर्माण लेआउट आदि) के अनुरूप होना चाहिए। ii) लागत प्रभावी, नवोन्मेषी और आपदा (*जैसे बाढ़, भूस्खलन, भूकंप आदि*) प्रतिरोधी प्रौद्योगिकियों का उपयोग *[चित्रण- यदि लाभार्थी आधारित निर्माण भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र के लिए डिज़ाइन किया गया है, तो ऐसे प्रभावों को कम करने के लिए अपनाई गई प्रौद्योगिकियों/पद्धतियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए]।*		

E) **विजेताओं के लिए पुरस्कार**

बैंक प्रत्येक श्रेणी/उपश्रेणी के अंतर्गत निम्नलिखित विजेताओं को सम्मानित करेगा:

विवरण	**लाभार्थी आधारित निर्माण**
प्रथम पुरस्कार	3 लाख रु.
द्वितीय पुरस्कार	2 लाख रु.
तृतीय पुरस्कार	1 लाख रु.
सांत्वना पुरस्कार (सांत्वना पुरस्कारों की संख्या निर्णायक मंडल द्वारा तय की जाएगी)	0.75 लाख रु.

- विजेताओं को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भी दिए जाएंगे।
- विजेता प्रविष्टियाँ रा.आ.बैंक/सीओए के प्रकाशनों, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर दिखाई देंगी।

V. पुरस्कार समारोह:

ये पुरस्कार विश्व पर्यावास दिवस (अक्टूबर के प्रथम सप्ताह) पर उचित मीडिया कवरेज के साथ प्रदान किये जायेंगे।

VI. निर्णायक मंडल की संरचना

सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार का चयन करने के लिए निर्णायक मंडल में निम्नलिखित क्षेत्रों/संस्थाओं/मंत्रालयों से 07 सदस्य शामिल हो सकते हैं:

i) डीएफएस, एमओएचयूए, रा.आ.बैंक और सीओए के प्रतिनिधि

ii) प्रख्यात वास्तुकार/शहरी योजनाकार/जलवायु विशेषज्ञ/शिक्षाविद और शोधकर्ता

अनुबंध I

प्रतियोगिता संबंधी दिशानिर्देश और विनियम

1.1 प्रतियोगिता के आयोजक

1.1.1 यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा वास्तुकला परिषद, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित की जा रही है।

1.2 व्यक्तिगत/ समूह भागीदारी

1.2.1 इस प्रतियोगिता के प्रयोजन हेतु, व्यक्तिगत आधार पर या समूह में (उपर्युक्त खंड IV (बी) में उल्लिखित पात्रता शर्तों के तहत अर्हता प्राप्त करने वाले अधिकतम 4 प्रतिभागियों) भागीदारी की अनुमति होगी।

1.2.2 रा.आ.बैंक और सीओए के कर्मचारी प्रतियोगिता में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।

1.3 प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु चरण:

1.3.1. प्रतिभागियों को कोई भागीदारी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।

1.3.2 प्रतियोगिता की शुरुआत रा.आ.बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तथा सीओए द्वारा अपनी वेबसाइट/सदस्य चैनल/संबद्ध विश्वविद्यालयों आदि पर की गई औपचारिक घोषणा के साथ होगी।

1.3.3 सभी इच्छुक प्रतियोगियों को अपनी पात्रता को स्पष्ट करने के लिए प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करना होगा और उन्हें अपनी पहचान गुप्त रखने के लिए एक विशिष्ट पहचान कोड दिया जाएगा। पंजीकरण के लिए लिंक बैंक की वेबसाइट (www.nhb.org.in) और सीओए के पोर्टल (www.coa.gov.in) पर उपलब्ध होगा।

1.4. प्रतियोगिता का सामान्य विवरण एवं कार्यक्रम

1.4.1 प्रतियोगिता का कार्यक्रम इस प्रकार होगा:

» प्रतियोगिता 20 मई 2025 से शुरू होगी

» प्रविष्टियों की अंतिम तिथि 20 जून 2025 है।

» निर्णायक मंडल के समक्ष चयनित डिजाइनों की प्रस्तुति - तिथि, समय और स्थान के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा।

» परिणाम की घोषणा और पुरस्कार वितरण की सूचना अलग से दी जाएगी।

» प्रतियोगिता के बारे में सभी संचार केवल ई-मेल के माध्यम से किए जाएंगे। (रा.आ.बैंक ईमेल: design.award@nhb.org.in)

» प्रत्येक टीम को केवल एक ही प्रविष्टि जमा कर सकती है।

1.4.2 रा.आ.बैंक को कार्यक्रम और इस प्रतियोगिता दस्तावेज़ में परिवर्तन करने अथवा प्रविष्टि जमा करने की अंतिम तिथि के बाद भी प्रतियोगिता की समय-सीमा बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित है, ऐसा कोई भी परिवर्तन सभी प्रतिभागियों के लिए स्वीकार्य, अंतिम और बाध्यकारी माना जाएगा।

1.4.3 प्रतियोगिता समन्वयक: रजिस्ट्रार, वास्तुकला परिषद, नई दिल्ली।

1.5. प्रतियोगिता मूल्यांकन और विचार-विमर्श

1.5.1 निर्णायक मंडल के सदस्य प्राप्त प्रविष्टियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया स्वयं निर्धारित करेंगे। निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

1.5.2 प्रतिभागियों को निर्णय पर निर्णायक मंडल की टिप्पणियों या रिकॉर्डों तक पहुँच की मांग करने का अधिकार नहीं होगा।

1.5.3 मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी होने पर, रा.आ.बैंक पूर्व-सूचित पुरस्कार तिथि, समय और स्थान पर प्रतियोगिता के अंतिम परिणामों की घोषणा करेगा और निर्णायक मंडल द्वारा घोषित प्रतियोगिता विजेताओं को पुरस्कार वितरित करेगा।

1.6. पुरस्कार एवं पारिश्रमिक:

1.6.1 प्रतियोगिता में विजयी प्रविष्टि को 3 लाख रुपये (प्रथम पुरस्कार) की पुरस्कार राशि दी जाएगी। दूसरे और तीसरे पुरस्कार के लिए क्रमशः 2 लाख रुपये और 1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। निर्णायक मंडल के विवेक पर चयनित डिज़ाइन के लिए 0.75 लाख रुपये की राशि का सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा।

1.6.2 रा.आ.बैंक इस प्रतियोगिता में भाग लेने के कारण प्रतिभागियों द्वारा किए गए किसी भी अन्य खर्च की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

1.6.3 विजेताओं की संख्या की घोषणा पूरी तरह से निर्णायक मंडल के विवेक पर निर्भर करेगी, जो प्राप्त प्रविष्टियों की गुणवत्ता और प्रतिभागियों की कुल संख्या के आधार पर निर्णय लेगी। इस संबंध में निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम, निर्णायक और सभी प्रतिभागियों के लिए बाध्यकारी होगा, और किसी भी तरह की अपील या चुनौती के अधीन नहीं होगा।

1.7. आरक्षण

1.7.1. रा.आ.बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह पुरस्कार विजेताओं द्वारा प्रस्तुत लाभार्थी आधारित निर्माण के डिजाइन विचारों और अवधारणाओं को, रा.आ.बैंक द्वारा उपयुक्त समझे जाने पर, संशोधनों के साथ या बिना संशोधनों के उपयोग कर सकता है।

1.8. डिज़ाइन प्रस्तुति

प्रस्तुति में **खंड संख्या “IV (डी)” में उल्लिखित सभी पहलुओं को शामिल करने वाला एक अवधारणा नोट**, तथा एक 3डी वॉकथ्रू के साथ निम्नलिखित विवरण **A4 आकार** में होने चाहिए:

» परियोजना की समझ (सफल और प्रासंगिक बेंचमार्किंग अध्ययन सहित), परियोजना का सारांश (विचाराधीन क्षेत्र में चुनौतियों और बाधाओं को दूर करने के लिए परियोजना डिजाइन के गुण और प्रासंगिक पहलुओं सहित)

» कुशल लाभार्थी आधारित निर्माण के लिए वित्तीय अनुमान सहित स्थान के इष्टतम उपयोग को स्थापित करने वाले सभी प्रासंगिक पहलुओं का विवरण।

» 3डी वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत अवधारणा डिजाइन।

» स्थानीय पारंपरिक और स्थापत्य शैली के उपयोग के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल, पुनर्चक्रण योग्य या स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों के उपयोग के समर्थन में दस्तावेज।

» लागू स्थानीय प्राधिकरण दिशानिर्देशों की सूची के बारे में विस्तृत विवरण, जिसका लाभार्थी आधारित निर्माण को डिजाइन करते समय अनुपालन किया जाना चाहिए।

» लैंडस्केप प्रारूप में 03 A2 आकार के चित्र (42 x 59.4) (योजना, ऊंचाई, खंड या डिजाइन अवधारणा को समझाने के लिए कोई अन्य विवरण और पीडीएफ प्रारूप में सॉफ्टकॉपी)

1.8.1 प्रतियोगिता प्रक्रिया

प्रतियोगिता की शुरुआत रा.आ.बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तथा सीओए द्वारा अपनी वेबसाइट/संस्थानों/विश्वविद्यालयों आदि पर की गई औपचारिक घोषणा के साथ होगी।

सभी इच्छुक प्रतियोगियों को अपनी पात्रता को स्पष्ट करने के लिए रा.आ.बैंक/सीओए की वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर पंजीकरण करना होगा और आगामी प्रथम चरण के लिए उनकी पहचान गुप्त रखने के लिए उन्हें एक विशिष्ट पहचान कोड दिया जाएगा। इस दौरान प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाएंगे।

प्रविष्टियों को डिजाइन अवधारणा प्रस्तुति के रूप में चरित्र के अनुरूप विवरण के स्तर के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

प्रस्तुति मानदंड

i. सभी प्रविष्टियाँ केवल अंग्रेजी में होनी चाहिए।

ii. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रतिभागियों की पहचान गोपनीय बनी रहे। वास्तुकार का नाम या प्रतिभागी का नाम किसी भी प्रस्तुति दस्तावेज़ में उल्लेखित नहीं होना चाहिए, अन्यथा प्रविष्टि को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

iii. प्रत्येक दस्तावेज़ में नीचे दाएं कोने पर पंजीकरण के दौरान प्राप्त संदर्भ कोड का उल्लेख होना चाहिए।

iv. प्रस्तुतिकरण केवल पीडीएफ प्रारूप में किया जा सकता है, और इसके साथ अवधारणा नोट संलग्न होना आवश्यक है।

1.8.2. अभिव्यक्ति का माध्यम मुख्यतः चित्र, चित्रण और 3डी वीडियो होना चाहिए, जिसमें आवश्यकतानुसार केवल व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ हों। सॉफ्ट कॉपी (पीपीटी या पीडीजी प्रारूप में)।

1.8.3. इस प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागियों द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टियाँ रा.आ.बैंक द्वारा वापस नहीं की जाएंगी।

1.9. बौद्धिक संपदा अधिकार और गोपनीयता

1.9.1. प्रस्तुत किए गए विचारों / अवधारणाओं और डिज़ाइन की बौद्धिक संपदा अधिकार उनके लेखक के पास ही रहेंगे, तथापि रा.आ.बैंक को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह विजेताओं द्वारा प्रस्तुत विचारों / अवधारणाओं और डिज़ाइन का उपयोग, अपने अनुसार संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, छोटे भूखंड पर लाभार्थी आधारित निर्माण के विकास के संदर्भ में कर सके।

1.9.2. प्रतिभागियों को इस डिजाइन प्रतियोगिता के प्रयोजन के लिए रा.आ.बैंक द्वारा प्रदान की गई सभी जानकारी को गोपनीय रखना होगा तथा रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी के साथ इसका प्रकटीकरण नहीं कर सकते हैं।

1.9.3. ये प्रतिबद्धताएँ प्रतियोगिता की अवधि के दौरान तथा प्रतियोगिता के पूरा होने के बाद भी वैध रहेंगे।

1.9.4 रा.आ.बैंक को किसी भी उचित समय पर बिना किसी कारण के डिजाइन प्रतियोगिता को रद्द करने, विस्तार देने/अस्वीकार करने का अधिकार है।

1.10. विनियमों का प्रवर्तन

1.10.1. किसी प्रतिभागी द्वारा प्रविष्टियां भेजने का अर्थ यह है कि प्रतिभागी ने इस प्रतियोगिता दस्तावेज में निहित प्रतियोगिता के नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है तथा उन्हें पूर्णतः स्वीकार करता है।

1.10.2. निर्णायक मंडल के निर्णय, विचार-विमर्श, मत और कार्यवाही सार्वजनिक नहीं की जाएंगी और न ही किसी अन्य रूप में प्रकट की जाएंगी।

1.10.3 निर्णायक मंडल के निर्णय अंतिम होंगे और सभी प्रतिभागियों पर बाध्यकारी होंगे तथा उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

1.11. अस्वीकरण

1.11.1. रा.आ.बैंक किसी भी त्रुटिपूर्ण, क्षतिग्रस्त, नष्ट, खोई हुई, देरी से पहुंची, अधूरी, अस्पष्ट और गलत जगह भेजी गई प्रविष्टियों, या प्रतियोगिता, प्रतियोगिता में प्रविष्टियों के प्रस्तुतीकरण, प्रतियोगिता में भागीदारी से संबंधित किसी भी क्षति या हानि के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे इसका कारण कुछ भी हो या आयोजक या निर्णायक मंडल या किसी संबंधित व्यक्ति की कोई गलती हो, जिसके लिए उपर्युक्त में से कोई भी जिम्मेदार हो, और भले ही उनमें से किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में सूचित किया गया हो।

1.11.2. रा.आ.बैंक अपने विवेक से प्रतियोगिता को रद्द, संशोधित या निलंबित कर सकता है। प्रतियोगिता के ऐसे रद्दीकरण, संशोधन या निलंबन के परिणामस्वरूप प्रतिभागियों को किसी भी मुआवजे का हकदार नहीं माना जाएगा।

1.11.3 रा.आ.बैंक, उसके कर्मचारी/ सलाहकार/ प्रतिनिधि या परामर्शदाता किसी भी प्रतिभागी के प्रति किसी भी कानून, अधिनियम, नियम या विनियमन के तहत कोई प्रतिनिधित्व या गारंटी नहीं देते हैं और न ही किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान, खर्च या लागत के लिए उत्तरदायी होंगे, जो इस प्रतियोगिता दस्तावेज़ में वर्णित किसी भी बात के कारण हो सकती है या उठानी पड़ेगी।

किसी भी विवाद अथवा व्याख्या के सम्बन्ध में संशय होने पर अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।